

पानम

प्रथम नियुक्ति के समय अन्तर्गत सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान पारित नाम

3. वर्तमान पतेन 29.3.69.4.0.8 अंग्रेजी पतेन/पतेन की तारीख 1.3.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर पारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ज्योति	संपत्ति से तर्जिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला रायबरेल तहसील हनुमानगढ़ ग्राम कल्याण पट्टा 102 जमीन निधि 100 तहसील निधि 21/10/82 श्री गणेश (शासकीय कर्मचारी) कल्याण जिला रायबरेल तहसील हनुमानगढ़ 37-वर्ग मीटर जमीन (पट्टा 100)	कल्याण मकान हनुमानगढ़ कल्याण पट्टा 100	17.10 2000 45'x95' 30'x50' 30'x50'	85.50 लाख 299 लाख 1.50 लाख 13.00 लाख	11/10/82 स्वयं के नाम पट्टा 100 तहसील निधि अर्जित किया है --- --- ---	खरीद (पट्टा 100) पट्टा 100 तहसील निधि 21/10/82 पट्टा 100 तहसील निधि 21/10/82 पट्टा 100 तहसील निधि 21/10/82 पट्टा 100 तहसील निधि 21/10/82	4.50 लाख 4.50 लाख 4.50 लाख 4.50 लाख 4.50 लाख 4.50 लाख 4.50 लाख 4.50 लाख 4.50 लाख 4.50 लाख	

- जहां स्थान न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में संपत्ति मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें आस्थापना परदे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : सम्पत्ति शासकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार होने की अवधि के परवाना वह बोझ-वश भा कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या बंधक या उसके द्वारा पारित समस्त अन्तर्गत सम्पत्ति के ब्योरे दें।

प्रमाणित
नाम
पतेन